15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0368 812155

5.	भाग की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.0445 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	भूमि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 3,52,718/-
11.	मालियत	:	रु0 1,72,876/-
12.	स्टाम्प	:	रु0 15,200/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 425869

चौहद्दी

खसरा सं0 1082

पूरब : कृषि भूमि खसरा संख्या-1081

पश्चिम : कृषि भूमि खसरा संख्या-1074

उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या-1074, 1075

दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या-1083

खसरा नं0 1083

पूरब : कृषि भूमि खसरा संख्या-1081

पश्चिम : कृषि भूमि खसरा संख्या-1085, 1074

उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या-1082

दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या-1084

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या–11 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) राम नरेश (2) गया प्रसाद (3) सुखेराम (4) मुन्ना (5) मनुलाल (6) विजय कुमार पुत्रगण शिव बालक (7) श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 शिव बालक (8) राम सेवक (9) [illegible] (10) मंगल पुत्रगण बाबू (11) श्रीमती सुरसती पत्नी स्व0 बाबू, निवासीगण–[illegible] परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	श्री [illegible] पुत्र [illegible], निवासी–[illegible], [illegible], पोस्ट–[illegible], जिला–फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 625142

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) राम गनेश (2) गया प्रसाद (3) सुखेदार (4) कृष्णा (5) रघुराज (6) विनय कुमार पुत्रगण शिव बालक (7) श्रीमती बहना देवी पत्नी स्व0 शिव बालक (8) राम सेवक (9) शंकर (10) मंगल पुत्रगण बाबू, (11) श्रीमती सुरसती पत्नी स्व0 बाबू, निवासीगण-[illegible] परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् चौथी लाल पुत्र सुख[illegible] निवासी- मिर्जापुर, [illegible], पोस्ट-[illegible], जिला-फतेहपुर,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 625143

3090 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण खतौनी खाता खतौनी क्रम संख्या-240 फसली वर्ष 1409 से 1414 भूमि खसरा संख्या-1082 रकबा 0.069 हेक्टेयर का 1/2 यानि 0.0345 हेक्टेयर व खतौनी खाता खतौनी क्रम संख्या-176 फसली वर्ष 1409 से 1414 भूमि खसरा संख्या-1083 रकबा 0.064 हेक्टेयर कुल दो किता व कुल रकबा 0.0985 हेक्टेयर है, जो कि ग्राम-अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ में स्थित है, के

मालिक, काबिज व काबिज हैं तथा सत्यापित पटवारी खाता खतौनी क्रम संख्या 240 व 176 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में दिनांक 11.05.2004 व 26.02.2007 को हो गया है, उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रू0 3,52,778/- रुपया तीन लाख बावन हजार सात सौ अठहत्तर मात्र के प्रतिफल में जिसको कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण

को इस विलेख के अन्त मे दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता बोधी लाल पुत्र सुखई, निवासी– मिर्जापुर, बिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कराई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को दखली करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण

राम गनेश

इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण व उसके वारिसान की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेगें, विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि 0.0985 हेक्टेयर की मालियत रू0 1,72,375/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 35,300/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत

भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–1082 रकबा 0.069 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि 0.0345 हेक्टेअर व खसरा संख्या–1083 रकबा 0.064 हेक्टेअर कुल दो किता व कुल रकबा 0.0985 हेक्टेअर है, जो कि ग्राम–अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ में स्थित है.।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेतागण को रू0 3,52,778/– (रूपया तीन लाख बावन हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) नगद क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 3,52,778/– (रूपया तीन लाख बावन हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) विक्रेतागण ने

क्रेता से, प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ

दिनांक: 06.03.2007

गवाह

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्वार हुसैन)

एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :– [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

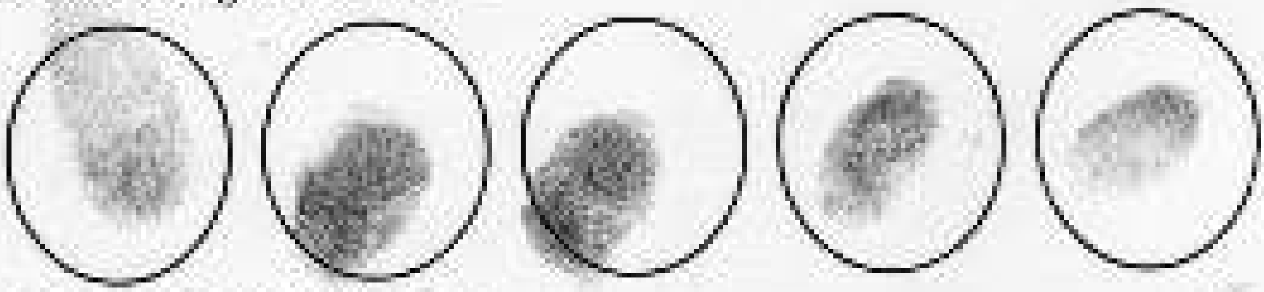

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

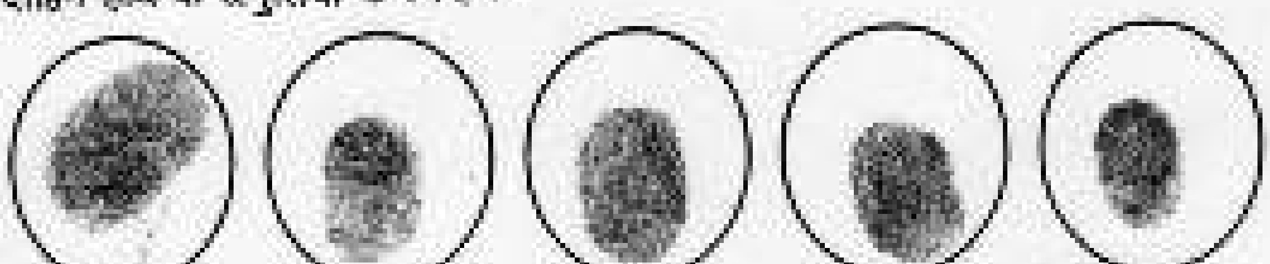

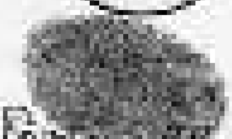

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु.

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

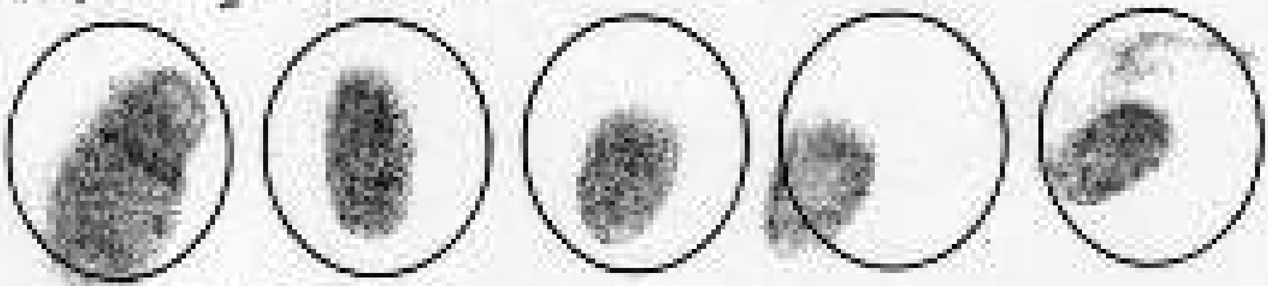

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु.

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- श्रीमती [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

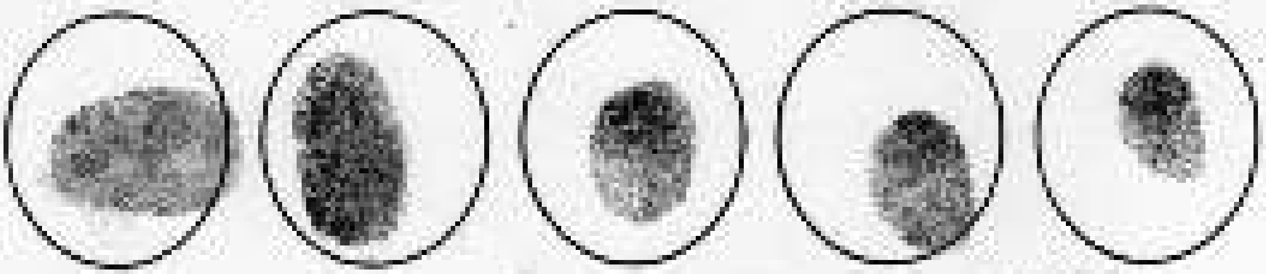

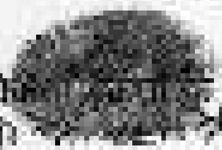

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

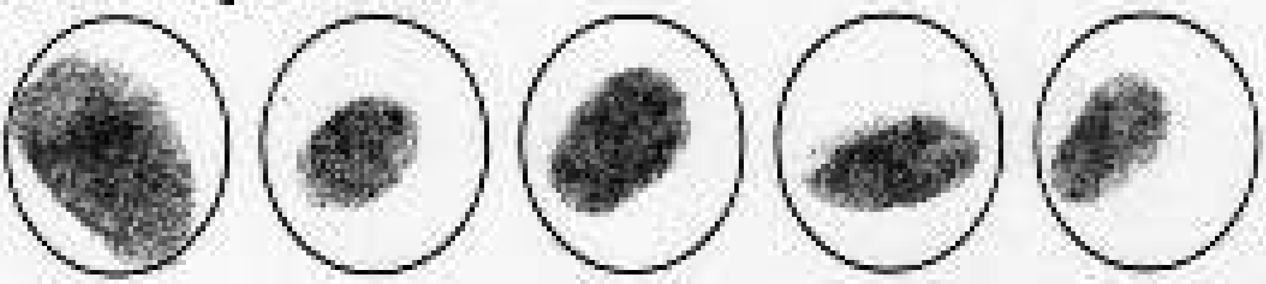

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु.

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :– [illegible] पुत्र रामू

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

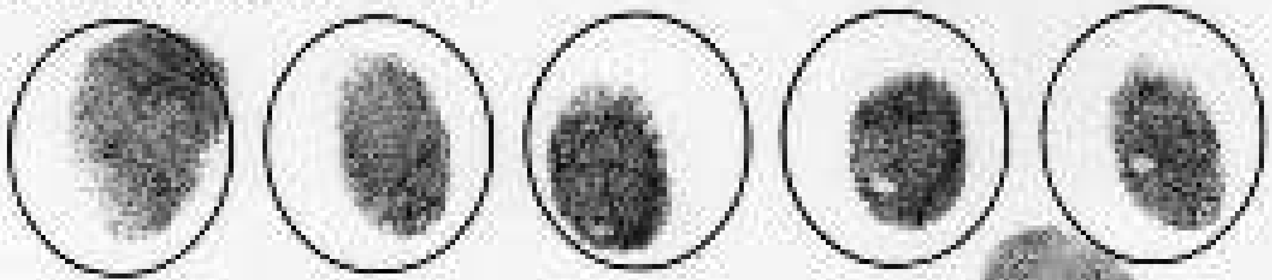

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– [illegible] पुत्र रामू

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

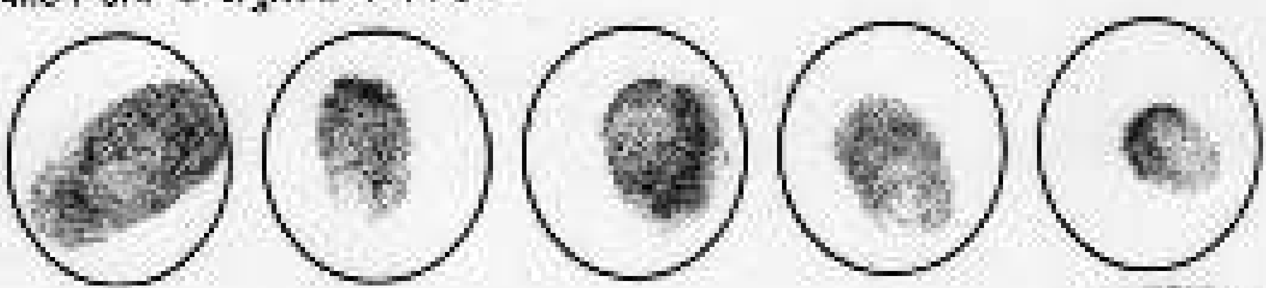

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु.

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

क्रिता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम - अहमदमऊ

खसरा संख्या- १०८२, १०८२

विक्रेता श्यामनरेश व अन्य

क्रेता श्रीमती लाल पुष्प भुवनेश्वरी।

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

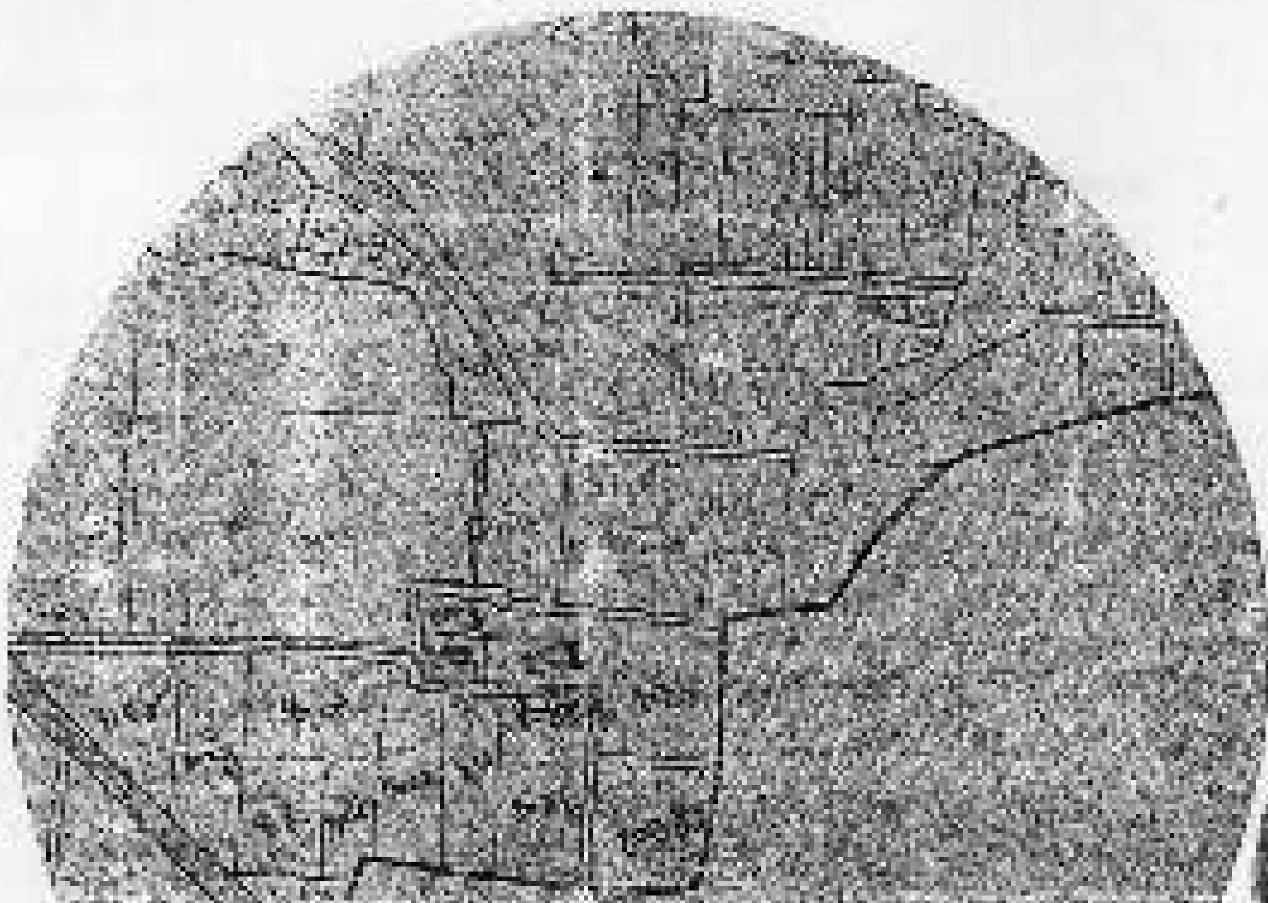

आज दिनांक 06/03/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 6449

पृष्ठ सं 1 से 36 पर क्रमांक 2282

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी. सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

9/3/2007